भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA ...0701

27934

सियाराम गंगा प्रसाद एजुकेशनल ट्रस्ट

कार्यालय–उत्तर टोला, बंकी, जनपद–बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, भारत वर्ष

ट्रस्ट डीड

यह ट्रस्ट डीड आज दिनांक 21.08.2015ई0 को तहसील नवाबगंज, बाराबंकी में श्री सुनील कुमार जायसवाल पुत्र श्री सियाराम जायसवाल आयु 42 वर्ष निवासी–उत्तर टोला, बंकी, जनपद–बाराबंकी द्वारा घोषित की गई:—

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 630702

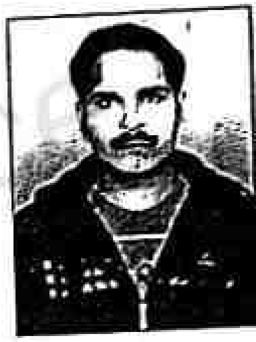

(2)

जिन्हें आगे न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुसार रू0 1000/- (रूपया एक हजार मात्र) की धनराशि ट्रस्ट के लिये प्रदान कर दी है। अतः उक्त राशि का अप्रति संहरणी न्यास बनाने हेतु इच्छुक है जो कि विशेष रूप से बालक-वालिकाओं के लिए प्राइमरी स्तर से उच्च स्तर तक के विद्यालय व कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, लॉ कालेज, मेडिकल कालेज की स्थापना व संचालन, अनाथालयों की स्थापना, शहरी बेरोजगार युवक व —

युवतियों को आधुनिक विषयों द्वारा रोजगार करने की अभिरूचि पैदा कर व्यवसायपरक बनाना तथा सामाजिक उत्थान के लिए अनेक क्षेत्रों में जैसे— मातृ शिशु कल्याण कार्यक्रम, वृद्धा व विधवा कार्यक्रम, नशा उन्मूलन व मूक वधिर विकलांगों के लिये कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन। यह ट्रस्ट **सियाराम गंगा प्रसाद एजूकेशनल ट्रस्ट** के नाम से जाना जाएगा तथा कार्य करेगा जिसे आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट/फाउन्डेशन भी कहा जा सकेगा और क्योकि न्यासकर्ता/संस्थापक को ही अध्यक्ष कहा जायेगा और उन्हे अध्यक्ष /निदेशक भी कहा जायेगा और न्यासकर्ता/संस्थापक की यह इच्छा है कि विभिन्न क्षेत्रों से जिसमें दान, उपहार आदि भी सम्मिलित है, के द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को और बढ़ाए जायेगा ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्य पूर्ति में प्रभावी रूप से सफल हो सके।

यह कि न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपने इच्छा के अनुकूल रूपया 1000/- रूपया (रूपया एक हजार मात्र) की नगद राशि ट्रस्ट के लिए प्रदान कर दी है। यह कि ट्रस्ट के उद्देश्य सुनिश्चित करने एवं नियमानुसार कार्य करने हेतु ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध एवं घोषित की जाती है।—

ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली

1. ट्रस्ट का नाम : सियाराम गंगा प्रसाद एजूकेशनल ट्रस्ट

2. कार्यालय : उत्तर टोला, बंकी
जनपद– बाराबंकी 225001 (उ0प्र0)

3. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष

ट्रस्ट के उद्देश्य

1. अहिंसा, जीवदया, शाकाहार आदि का प्रचार करना।
2. पशुओं और पक्षियों की सेवा तथा देखभाल हेतु पशु आश्रय, गौशालाओं की स्थापना, संचालन, अनुरक्षण तथा सहयोग प्रदान करना।
3. आमजनता के उपयोग तथा लाभ हेतु भारत में चिकित्सालयों, चिकित्सा महाविद्यालयों, बाल कल्याण केन्द्रों की स्थापना व उनका संचालन करना।
4. न्यास के उद्देष्यों की प्राप्ति हेतु बैंठकों/सभाओ, संगोष्ठियों, जन रैलियों, जनसभाओं तथा जागरूकता कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं/प्रतिर्स्पधाओं आदि का आयोजना करना।
5. बालक–बालिकाओं के लिए प्राइमरी स्तर से उच्च स्तर तक के विद्यालय व कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, लॉ कालेज, मेडिकल कालेज की स्थापना व संचालन करना तथा षिक्षा के क्षेत्र में शोध एवं अन्य संस्थानों की स्थापना, संचालन, अनुरक्षण तथा सहयोग प्रदान करना।——

6. किसी भी रंग, वंश, लिंग जाति या धर्म का भेदभावन ना करते हुए विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति की स्थापना, संचालन एवं अनुरक्षण करना तथा अन्य प्रकार की सहायता करना, जिसमें अध्ययन के लिये पुस्तकों, वजीफा, पदकों या अन्य प्रोत्साहनों का वितरण शामिल है।

7. भारत में विज्ञान, साहित्य, संगीत, नाट्य विद्या, ललित कलाओं के उत्थान, ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण तथा अनुसंधान हेतु तथा अन्य संस्थान, जो इसी तरह के उद्देश्यों के लिए कार्यरत है, को प्रोत्साहन देने हेतु संस्थाओं की स्थापना, समर्थन, संचालन, अनुरक्षण तथा सहयोग प्रदान करना एवं उनको बढ़ावा देना।

8. आम जनता के उपयोग हेतु उद्यान, बगीचों, व्यायामशालाओं, खेलकूद मंडलों, धर्मशालाओं तथा विश्राम गृहों आदि की स्थापना, संचालन, अनुरक्षण तथा समर्थन करना एवं आर्थिक सहयोग देना।

9. वृद्धालयों, अनाथालयों की स्थापना, अनुरक्षण, संचालन करना अथवा सहायता करना अथवा निर्धन, जरूरतमंद एवं असहाय लोगों, अनाथ बच्चों, विधवाओं एवं वृद्ध लोगों की सहायता करना।

10. समाज की गरीब कन्याओं का विवाह करवाना और गरीब कन्याओं के लिये सामूहिक विवाह का आयोजन करना।

11. योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार–प्रसार और योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना करना व संचालन करना।

12. प्राकृतिक आपदाओं जैसे अकाल, तूफान, भूकम्प, बाढ़, आगजनी, महामारी आदि के समय पीड़ित जरूरतमंद लोगों की सहायता एवं राहत प्रदान करना तथा ऐसे राहत कार्यों में लगी संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करना एवं प्राचीन मंदिरों का जीर्णोधार करवाना।"

नियमावली

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकरण के दिनांक से श्री सुनील कुमार जायसवाल जो न्यासकर्त्ता एवं इस न्यास विलेख के रचियता भी है, की इस ट्रस्ट का अवैतिनिक अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है। जिन्हे अध्यक्ष कहा जा सकेगा इनका कार्यकाल आजीवन रहेगा और इनकी मृत्योपरान्त इनका उत्तराधिकारी ही अध्यक्ष के पद पर कार्य करेगा।

2. ट्रस्टी/संस्थापक/अध्यक्ष की पंजीकरण के तत्काल बाद से वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जो डीड में ट्रस्टी को प्रदान किए गए है।

3. अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने काल में अपने उत्तराधिकारी या ट्रस्टी अध्यक्ष की व्यवस्था कर दे यदि किसी वजह से वह अपने उत्तराधिकारी को नहीं चुनता है तो अध्यक्ष का वास्तविक उत्तराधिकारी स्वयं ही अध्यक्ष हो जायेगा।

संरक्षक के कर्तव्य एवं अधिकार

1. संरक्षक के पद पर सियाराम जायसवाल पुत्र स्व0 गंगा प्रसाद जायसवाल निवासी–उत्तर टोला, बंकी, जनपद– बाराबंकी प्रारम्भ से कार्यरत रहे।––
2. संरक्षक समय–समय पर अध्यक्ष को ट्रस्ट के विकास हेतु सलाह प्रदान करना।

अध्यक्ष के कर्तव्य एवं अधिकार

1. अध्यक्ष के पद पर सुनील कुमार जायसवाल पुत्र श्री सियाराम जायसवाल निवासी–उत्तर टोला, बंकी, जनपद–बाराबंकी प्रारम्भ से कार्यरत रहे।

2. अध्यक्ष विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन करेगा। जिसमें एक–संरक्षक, एक–अध्यक्ष, एक–उपाध्यक्ष, एक–कोषाध्यक्ष तथा दो–सदस्य सहित कुल संख्या–छः होगी।

3. अध्यक्ष को किसी को ट्रस्टी सदस्य बनाते समय ही उसका कार्यकाल भी घोषित कर देगा परन्तु भविष्य में यदि वह चाहे तो बिना कारण बताये ही उसका कार्यकाल घटा, बढ़ा भी सकता है।

4. अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सुझावों को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा बल्कि अन्तिम रूप में अपनी इच्छा और विवेक के अनुसार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।––

सियाराम

सुनील जायसवाल

6. अध्यक्ष को यह विशेष आधिकार होगा कि वह ट्रस्ट के अर्न्तगत कार्यरत किसी भी अधिकारी, कर्मचारी द्वारा लिए गए निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/संशोधित कर दे। अध्यक्ष के कियाकलापों के अन्तर्गत किसी भी स्तर पर कोई भी निर्देश दे सकता है जो सभी पक्षों को मान्य एवं स्वीकार होगा।

7. ट्रस्ट के समस्त कार्यों की उत्तरदायित्व सही ढंग से देख–रेख करेगा।

8. इस डीड में लिखित ट्रस्ट के उद्‌देश्य एवं नियमावली में भविष्य में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीकृत होने के दिनांक से मान्य होंगे।

9. सदस्यों या अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों पर अनुशासनहीनता बरतने पर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।

10. ट्रस्ट की ओर से पत्र व्यवहार करना बैठको की सूचना देना, आडिट आदि की व्यवस्था करना।

11. ट्रस्ट के अर्न्तगत होने वाले सभी कियाकलापों एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियां पर नियन्त्रण रखना।

12. ट्रस्ट के पदाधिकारियों, कर्मचारियों की नियुक्ति/पदमुक्ति तथा उनके विरूद्ध अनुशानात्मक कार्यवाही कर सकेगा।

13. जनसामान्य के कल्याणार्थ के प्रति जागरूकता सम्बन्धित कार्यक्रम आयोजित करना।

14. सदस्यों की संख्या बढ़ाने का अधिकार अध्यक्ष को रहेगा।—

न्यास पत्र

	100.00	20	120.00	600
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

[redacted]

व्यवसाय
निवासी स्थायी
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 21/8/2015 समय 3:58PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बी0 के0 यादव
उप निबन्धक नवाबगंज
बाराबंकी
21/8/2015

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून
न्यासी

श्री सियाराम जायसवाल संरक्षक
पुत्र श्री गंगा प्रसाद जायसवाल
पेशा व्यापार
निवासी उत्तर टोला कस्बा बंकी बाराबंकी

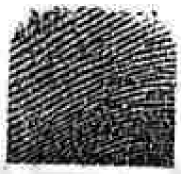

श्री सुनील कुमार जायसवाल अध्यक्ष
पुत्र श्री सियाराम जायसवाल
पेशा व्यापार
निवासी उत्तर टोला कस्बा बंकी बाराबंकी

श्री सतीश जायसवाल
पुत्र श्री सियाराम जायसवाल
पेशा व्यापार
निवासी उत्तर टोला कस्बा बंकी बाराबंकी

श्रीमती नीलू जायसवाल कोषाध्यक्ष
पत्नी श्री सुनील कुमार जायसवाल
पेशा गृहणी
निवासी उत्तर टोला कस्बा बंकी बाराबंकी

उपाध्यक्ष के कर्तव्यं और अधिकार

1. उपाध्यक्ष के पद पर सतीश जायसवाल पुत्र श्री सियाराम जायसवाल निवासी–उत्तर टोला, बंकी, जनपद–बाराबंकी प्रारम्भ से कार्यरत रहे।

2. अध्यक्ष के कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

कोषाध्यक्ष के कर्तव्य और अधिकार

1. कोषाध्यक्ष के पद पर श्रीमती नीलू जायसवाल पत्नी श्री सुनील कुमार जायसवाल निवासी– उत्तर टोला, बंकी, जनपद–बाराबंकी प्रारम्भ से कार्यरत रहे।
2. ट्रस्ट के दान, अनुदान सदस्यता शुल्क प्राप्त करना और उनके लिये यथाविधि रसीद देना और सदैव ट्रस्ट के हित में कार्य करना।

3. ट्रस्ट के आय–व्यय का लेखा जोखा रखना।

सदस्यों के कर्तव्य और अधिकार

1. सदस्य के पद पर अनिल जायसवाल पुत्र श्री सियाराम जायसवाल निवासी– उत्तर टोला, बंकी, जनपद–बाराबंकी तथा सुधीर जायसवाल पुत्र श्री सियाराम जायसवाल, निवासी–उत्तर टोला, बंकी, जनपद–बाराबंकी प्रारम्भ से कार्यरत रहे।

2. ट्रस्ट के हित में कार्य करना तथा अध्यक्ष के कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

श्री अनिल जायसवाल
पुत्र श्री सियाराम जायसवाल
पेशा व्यापार
निवासी उत्तर टोला कस्बा बंकी बाराबंकी

श्री सुधीर जायसवाल सदस्य
पुत्र श्री . सियाराम जायसवाल
पेशा व्यापार
निवासी उत्तर टोला कस्बा बंकी बाराबंकी

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्रीमती संगीता जायसवाल
पत्नी श्री अनिल जायसवाल
पेशा गृहणी
निवासी उत्तर टोला कस्बा बंकी बाराबंकी
व श्रीमती वर्तिका जायसवाल
पत्नी श्री सतीश जायसवाल
पेशा गृहणी
निवासी उत्तर टोला कस्बा बंकी बाराबंकी
ने की ।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये ...

WPS Office

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बी0 के0 यादव
उप निबन्धक नवाबगंज
बाराबंकी
21/8/2015

बैंक एंकाउन्ट

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक में ट्रस्ट के नाम से अध्यक्ष के हस्ताक्षर से खोला जा सकेगा। जिसका संचालन केवल अध्यक्ष महोदय करेंगे। साथ ही साथ ट्रस्ट का प्रत्येक वर्ष आडिट किसी मान्यता प्राप्त चार्टटेड एकाउन्टेट के द्वारा किया जायेगा।

सम्पत्ति सम्बन्धित:—

1. ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति क्रय एवं विक्रय करने या किराये पर देने या रहन पर देने का अधिकार अध्यक्ष का होगा, इसमें कोई पदाधिकारी या सदस्य हस्तक्षेप नहीं करेगा।

2. ट्रस्ट दान चन्दा, सम्मान, पुरस्कार आदि ले सकता है।

3. ट्रस्ट के यह घोषणा की जाती है कि ट्रस्ट के पास 1000/–(एक हजार रूपया) के अतिरिक्त पंजीकरण के समय कोई भी चल–अचल सम्पत्ति ट्रस्ट के नाम नहीं है।

न्यारी

Registration No.: 73 Year : 2,015 Book No. : 4

0101 सियाराम जायसवाल संरक्षक
गंगा प्रसाद जायसवाल
उत्तर टोला कस्बा बंकी बाराबंकी
व्यापार

0102 सुनील कुमार जायसवाल अध्यक्ष
सियाराम जायसवाल
उत्तर टोला कस्बा बंकी बाराबंकी
व्यापार

0103 सतीश जायसवाल
सियाराम जायसवाल
उत्तर टोला कस्बा बंकी बाराबंकी
व्यापार

0104 नीलू जायसवाल कोषाध्यक्ष
सुनील कुमार जायसवाल
उत्तर टोला कस्बा बंकी बाराबंकी
गृहणी

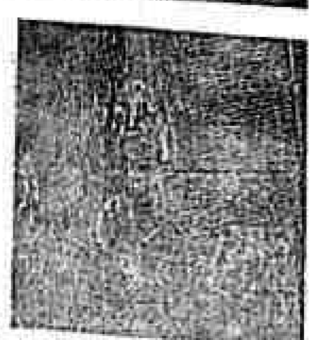

विधिक कार्यवाही

ट्रस्ट की ओर से कोई भी विधिक कार्यवाही करने अथवा ट्रस्ट के विरूद्ध कोई भी विधिक कार्यवाही होने पर ट्रस्ट के अध्यक्ष य उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि को अधिकृत या निर्देशित कर सकता है।—

विशेष प्रावधान :—

ट्रस्ट का अध्यक्ष जब तक जीवित रहेंगे उन्हीं की देख रेख में ट्रस्ट का सम्पूर्ण कार्य किया जाता रहेगा और प्रत्येक कार्य में अध्यक्ष से विचार विमर्श किया जाना आवश्यक रहेगा। अध्यक्ष की मृत्यु के उपरान्त उनके उत्तराधिकारी ही उपरोक्त पद पर स्वतः की नियुक्त माने जायेंगे।

यह सियाराम गंगा प्रसाद एजूकेशनल ट्रस्ट की उपयुक्त डीड के उद्देश्य एवं नियमावली एतद् द्वारा अधिनियमित अनुमोदित घोषित, स्वीकृत अंगीकृत आत्म सम्पत्ति एवं तत्काल प्रभाव से कार्यान्वित किए जाते है।—

न्यासी

Registration No.: 73 Year : 2,015 Book No. : 4

0105 अनिल जायसवाल

सियाराम जायसवाल

उत्तर टोला कस्बा बंकी बाराबंकी

व्यापार

0106 सुधीर जायसवाल सदस्य

सियाराम जायसवाल

उत्तर टोला कस्बा बंकी बाराबंकी

व्यापार

यह कि उपयुक्त ट्रस्ट डीड को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिए गए।

विनीत कुमार अवस्थी (द०न०)
दिनांक 21.08.2015ई०

1. सियाराम– पहचान पत्र– UP/29/143/549361
2. सुनील कुमार जायसवाल– आधार कार्ड– 325269459617
3. सतीश जायसवाल– पहचान पत्र– ABG1239219
4. श्रीमती नीलू जायसवाल– आधार कार्ड–419172333597
5. अनिल कुमार जायसवाल– आधार कार्ड–289685092822
6. सुधीर कुमार जायसवाल– पहचान पत्र– UP/29/143/549365

सियाराम

सुधीर जायसवाल

WPS Office

गवाह-1 संगीता जायसवाल पत्नी अनिल जायसवाल निकट दुर्गा मन्दिर उत्तर टोला बंकी पर०व त०न० नवाबगंज जिला बाराबंकी आधार कार्ड नं. 537266224419

गवाह-2 प्रतिमा जायसवाल पत्नी सतीश जायसवाल निकट-दुर्गा मंदिर के पास उत्तर टोला बंकी परगना तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी आधार कार्ड नं. 658338492258

आज दिनांक 21/08/2015 को

बही सं. 4, जिल्द सं. 190

पृष्ठ सं. 175 से 198 पर कमांक 73

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बी० के० यादव

उप निबन्धक नवाबगंज

बाराबंकी

21/8/2015